संख्या-08/2018/155/38-6-18-02(एनआरएलएम)/2015 टीसी

प्रेषक,

अच्छे लाल सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 **लखनऊ, दिनांक- 28 मार्च, 2018**

विषय:- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत स्टार्टअप विलेज इन्टरप्रोन्योरशिप प्रोग्राम हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत/अवमुक्त केन्द्रांश की प्रथम किश्त की अवशेष धनराशि के सापेक्ष केवल मैचिंग राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, गोमतीनगर, लखनऊ के पत्रांक-474/एनआरएलएम/लेखा/2017-18, दि0-23.03.2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पत्र सं0-एस-11051/21/2015/एनआरएलएम(एसवीईपी)/यूपी, दि0-12.03.2018 के माध्यम से एनआरएलएम के अन्तर्गत प्रदेश के 04 जनपदों के 04 विकास खण्डों(जनपद-वाराणसी के विकास खण्ड-आरजी लाइन, जनपद-सोनभद्र के विकास खण्ड-दुधी, जनपद-लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड-निघासन तथा जनपद-बिजनौर के विकास खण्ड-नजीबाबाद) हेतु स्टार्टअप विलेज इन्टरप्रिन्योरशिप प्रोग्राम के क्रियान्वयन हेतु रू0-244.41 लाख केन्द्रांश की प्रथम किश्त की अवशेष (60 प्रतिशत) धनराशि यूपीएसआरएलएम के बैंक खाते में सीधे अवमुक्त की गयी है।

2- भारत सरकार द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि रू0-244.41 लाख के सापेक्ष 40 प्रतिशत मैचिंग राज्यांश की धनराशि रू0-162.94 लाख बनती है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष-2017-18 में अनुदान संख्या-13(सामान्य मद) में हुई बजट व्यवस्था के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की प्रथम किश्त की धनराशि रू0-162.94 लाख(रूपये एक करोड बासठ लाख चौरान्नबे हजार मात्र) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वीकृत आदेशों शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत/व्यय की जाएगी।

(2) प्रश्नगत धनराशि के संबंध में योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर योजना हेतु निर्धारित खाते में जमा किया जाएगा। जमा धनराशि पर अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम का होगा।

(4) धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यतानुसार किया जाएगा तथा उसका व्यय उन्हीं मदों में किया जाएगा जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है।

(5) प्रश्नगत धनराशि के व्यय/उपयोग हेतु आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दि0-03.08.2017 व शासनादेश दि0-20.11.2017 में निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(6) आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम राज्यांश की अवुक्त की जा रही धनराशि के संबंध में यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इसकी डुप्लीकेसी न हो।

(7) आंकडों की शुद्धता आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय व्ययक के अनुदान सं0-13 (सामान्य मद) के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-02-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-0201-स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना(जिला योजना)(के.-60 रा.-40-के.+रा.)-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय सं0-यू0ओ0-ई-2-416/2018/दस-2, दि0-28 मार्च, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

अच्छे लाल सिंह यादव
विशेष सचिव।

<u>संख्या-08/2018/155(1)/38-6-2018 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, 9वां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी (द्वारा-यूपीएसआर एलएम)
6- मिशन निदेश, यूपीएसआरएलएम, गोमती नगर, लखनऊ।
7- श्रीमती अनीता बघोल, निदेशक, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
8- अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

http://shasanadesh.up.nic.in

9- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10- ग्राम्य विकास अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-3
11- राज्य योजना आयोग-1/2
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अच्छे लाल सिहं यादव
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in